न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:11 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्या 2015/00108 (52/2015) 223 आरटीएक्ट

गुरलाल सिंह पुत्र ... साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरबचन सिंह } पिसरान बुटासिंह जाति कुम्हार साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया
2. गुरदेव सिंह } जिला हुनमानगढ़
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.2014 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उखण्डाधिकारी संगरिया वाद संख्या 251/2014 बअनवानी गुरबचनसिंह आदि बनाम गुरलाल सिंह कौर आदि

उपस्थित:–

श्री देवदत भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशप्रीत सिंह संधु अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1,

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेसपो0 सं0 3

निर्णय दिनांक:– 06.09.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत पेश किया जिसमें कथन कियाकि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बूटासिंह पुत्र मलसिंह के वारिसान हैं। बूटासिह पुत्र मलसिंह के नाम चक 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 80/55 खाता बूटासिंह वगैरा व इसी चक के खाता सं0 81/54 खाता बूटासिंह वगैरह जमाबंदी सं0त 2068–71 व चक 5 ए.एम.पी. खाता सं0 66/58 खाता बूटासिंह वगैर जमाबंदी संवत 2069–72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। बूटासिंह फौत हो चुका है। इस भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 2 ने घराघरू बंटवारा कर रखा है। वादी ने वाद पत्र में चक 5 ए.एम.पी. खाता सं0 66/58 खाता बूटा सिंह वगैर ज.सं. 6069–72 में बूटा सिंह पुत्र मलसिंह व प्रतिवादी सं0 1 के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

से दर्ज कुल 2.278 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने उक्त खाता से बूटासिंह पुत्र मलसिंह व प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करने व चक 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 80/55 खाता बूटा सिह वगैरा में बूटा सिंह पुत्र मलसिंह के हक व हिस्सा की आराजी में से 0.632 है0 आराजी का प्रति0 सं0 1 को व [illegible] है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से बूटासिंह [illegible] का नाम कलमजन किया जाने व चक 15 बी.जी.पी. खाता सं0 81/54 खाता बूटा सिह वगैरा ज. नं. 2068–71 में बूटा सिह पुत्र मलसिंह के नाम दर्ज कुल आराजी में से 0.506 है0 आराजी का प्रतिवादी सं0 1 को व शेष आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से बूटासिंह का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा पेश किया जिसमें कथन किया कि वाद वादी डिक्री किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई एतराज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:11 IST
Reason: SelfAttested

2. रेस्पोडेण्ट 2 के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भिजवाये गये मगर उसकी तरफ से कोई उपस्थित नही आया लिहाजा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ ~~न्यायालय~~ का अपीलाधीन आदेश उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत बिना कोई साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये दस्तावेजी साक्ष्यों की बिना कोई जांच किये विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने स्वयं बूटासिह पुत्र मलसिंह का देहान्त होना व उसके वारिस रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 एवं स्वयं को होना बताया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस न होने का कथन किया जबकि वादी/रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया में एक अन्य वाद सं0 103/11 में कुल 7 वारिस बताये हैं। जिनको वाद में पक्षकार नही बनाया है। पूर्व वाद में दिनांक 06.09.2013 को निर्णय व डिक्री पारित करके स्व0 बूटासिंह के हिस्सा की अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि बाबत पूर्व में ही डिक्री पारित की जा चुकी है इसलिए पुनः वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। खाता संख्या 80/55 में में कुंलदीप सिंह पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह का हिस्सा था परन्तु कुलदीप सिह को वाद में पक्षकार नही बनाया। इसी प्रकार चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 81/54 में संयुक्त खाता के अन्य सहकाश्तकार अपीलाण्ट की दादी स्व बसंतकौर बेवा भाग सिह व अपीलाण्ट के भाई कुलदीप सिह पिता सुरेन्द्रपाल सिह व चाचा विरेन्द्रपाल सिंह व भूधारक तहसीलदार को पक्षकार नही बनाया गया है। चक 5 एएमपी की भूमि बैंक शाखा संगरिया के रहन है उसे भी पक्षकार नही बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि में के संबंध में पूर्व में ही एक वाद डिक्री होने के कारण पुनः उसी भूमि के संबंध में रेस्पो0 सं0 1 को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। हमारे वकील ने वकलातनामा प्रस्तुत करने के बाद जवाब प्रस्तुत करने की सूचना नहीं दी। जबकि उसे जवाब प्रस्तुत करने की सूचना देनी चाहिए थी। परन्तु अभिभाषक ने उसी दिन रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 से मिलकर गलत रूप से अपीलाण्ट का इकबालदावा प्रस्तुत कर दिया व दिनांक 07–8–2014 शपथ–पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रस्तुत करवाया व वादी में डिक्री जारी हो गई। अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि चक 5 ए.एमपी. के खाता संख्या 66/58 में 1.139 है0 भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है व बैंक में रहन की हुई है। केवल मौखिक कथनों के आधार पर किसी खातेदारी की भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर अन्य काश्तकार को खातेदार [illegible] है। चक 15 बीजीपी के अन्य खातों की भूमि में अपीलाण्ट का कोई संयुक्त [illegible] नहीं है व [illegible] अपीलाण्टकी उक्त दोनों खातों की भूमि कब्जा काश्त में है केवल मात्र [illegible] 1 व 2 के कथनों मानते हुए उक्त दोनों चकों की भूमि में अपीलाण्ट को खातेदार घोषित कर दिया गया है इस प्रकार धारा 88 आरटीए के तहत इस प्रकार खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2016 (4) डीएनजे (राज) पेज 1757, आरएलडब्ल्यू 1997(1) पेज 225, 2015 डीएनजे (एससी) पेज 593 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के तथ्य मिथ्या, मनघड़ंत, गलत, बेबुनियाद हैं। अपीलाण्ट को वाद की पूर्ण रूप से जानकारी थी तथा अपीलण्ट विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता हाजिर आ चुका था तथा अपीलाण्ट की प्रत्येक पेशी पर जरिये अधिवक्ता उपस्थिति रही है। अपीलाण्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वकालतनामा व इकबालदावा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसलिए अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की शुरू से जानकारी रही है। अपीलाण्ट विचारण न्यायालय के समक्ष किये गये अस्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलाण्ट के अपने परिवार के साथ विवाद रहने के कारण यह अपील पेश की है। अपील प्रस्तुत करने से हम रेस्पोडेण्टान के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लगभग 10 माह की लम्बी समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद अपीलाधीन आदेश को कानूनन चुनौती नही दी जा कसती है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को तंग व परेशान करने की गर्ज से झूठे व गलत आधारो पर अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2006 डीएनजे (एससी) पेज 764, आरआरडी 14.02.2015 पेज 84, आरआरटी 2018 (1) पेज 94, 2010 (1) पेज 400 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

7. जहां तक गुणवगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 का वाद स्वीकार किया गया है। पत्रावली में आये तथ्यों के अनुसार सहायक कलक्टर संगरिया में इसी भूमि के संबंध में एक अन्य वाद गुरबचन सिंह बनाम अजमेर कौर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वगैरा वाद सं0 103/11 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 06.09.2013 को डिक्री किया गया है। जिसमें स्व0 बूटासिंह के हिस्सा की अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि बाबत ही डिक्री पारित की जा चुकी है इसलिए पुनः वाद प्रस्तुत नहीं किया [illegible] सकता है। इस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपील संख्या 39/2015 गुरलाल सिंह बनाम [illegible] सिंह आदि को रिमाण्ड किया गया है। जब प्रश्नगत भूमि के संबंध में पूर्व वाद में [illegible] पुनः वाद प्रस्तुत करके उसी भूमि के संबंध में अपीलाधीन निर्णर्य व डिक्री [illegible] सम्मत नहीं है। चूंकि पूर्व वाद की डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है इसलिए इस प्रकरण को भी उसी पूर्व प्रकरण के साथ निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:11 IST
Reason: SelfAttested

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के साथ अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2014 निरस्त किया जाता एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस प्रकरण को पूर्व प्रकरण संख्या103/2011 साथ समेंकित करते हुए पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 6-9-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6/9/21
(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़